

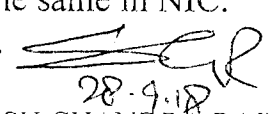
HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

Endt. A.1.3573-B
IV-8-7/37

Jabalpur, Dt. 29/09/2018

The Copy of Letter No.: **D.T.A./CYBER TREASURY/220 BHOPAL, Dated 07/09/2018** and referenced letter therein of **D.T.A. M.P., Bhopal** is forwarded to :-

- P.P.S. to Hon'ble the Chief Justice, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur for placing the matter before his Lordships;
- The P.S. to Hon'ble Shri Justice Justice.....High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur, Bench at Indore/Gwalior for placing the matter before his Lordships ;
- P.S. to Registrar General High Court of M.P., Jabalpur.
- P.S. to Registrar Administration/ Principal Registrar (Judl.) / Principal Registrar (I & V)/ Principal Registrar (Examination & I.L.R.) High Court of M.P., Jabalpur ;
- The Principal Registrar, Bench at Indore/Gwalior, High Court of M.P.;
- The Registrar (J)/ (D.E.) /(Adm) /(Vig.) /(VL)/ (A.W.) (E) /OSD(D.E.)/I.T. High Court of M.P., Jabalpur ;
- The District & Sessions Judge to circulate the same amongst the Judicial Officers working under their kind control ;
- The District & Sessions Judge (VL), Jabalpur/Indore/Gwalior;
- P.S. to Director/Additional Director, M.P., State Judicial Academy High Court of M.P., Jabalpur;
- P.S. to A.O./B.O./Joint Registrar (Protocol)/Deputy Registrar (J-I)/J-II/High Court of M.P., Jabalpur;
- S.O.(Checker)/Confidential/W.S./ILR/Copying/Budget/D.E./Accounts /Pension/ Complaint / Pay Fixation(Gazette) / Leave(Gazette)/ Establishment, High Court of M.P., Jabalpur;
- Computer Operator Confidential Section High Court of M.P., Jabalpur;
- Server Room(Computer) for uploading the same in NIC.
for information and appropriate action.


28.9.18
(SATISH CHANDRA RAI)
REGISTRAR (ADMINISTRATION)

**संचालनालय कोष एवं लेखा,
मध्यप्रदेश**

क्रमांक/डीटीए/साय0ट्रेजरी/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 07.09.2018

समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :-सायबर कोषालय के अंतर्गत मुद्रांक कार्य के लिये राशियाँ जमा करने के संबंध में।

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा रुपये 10,000/- से अधिक की राशियाँ भौतिक रूप से बैंक में जमा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें दिनांक 15 जुलाई, 2018 तक विभिन्न मदों के लिए शिथिलीकरण किया गया है। दिनांक 15 जुलाई, 2018 के पश्चात् किसी भी प्रकार का शिथिलीकरण आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है। अतः समस्त कोषालय अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि रुपये 10,000/- से ऊपर का कोई भी भौतिक चालान जो राजस्व जमाओं से संबंधित बैंकों में जमा करने की अनुमति न दी जाये। (उक्त आदेश लोक-लेखाओं में जमा पर लागू नहीं होता)।

विभिन्न कोषालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऐसे मुद्रांक जो पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक के संपदा पोर्टल के अंतर्गत ई-मुद्रांक के तहत नहीं आते, के कार्य के संबंध में राशियाँ जमा करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सायबर कोषालय के अंतर्गत मुद्रांक कय के लिये राशि जमा करने की सुविधा नहीं है। सायबर कोषालय द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2018 से ऐसे स्टाम्प क्रेता जो वैयक्तिक रूप से राशियाँ जमाकर मुद्रांक कय करना चाहते हैं अथवा ऐसी संस्थाएँ जो राशि जमाकर सीधे कोषालय से मुद्रांक कार्य करना चाहते हैं (जैसे बैंक, बीमा आदि) के लिये सायबर कोषालयों में शीर्ष 0030 के अंतर्गत राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसके फलस्वरूप स्टाम्प वेण्डर के रूप में मुद्रांक कय करने वाले जमाकर्ताओं को छोड़कर जिन्हें डिस्काउण्ट प्राप्त होता है, को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के जमाकर्ता सायबर कोषालय में राशि जमा कर सकेंगे।

2- सायबर कोषालय में जमा की गई राशि की प्राप्ति विन्ध्याचल कोषालय में प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत लेखाबद्ध की जायेगी। चालान जिस जिले से संबंधित होगा उस जिले के जिला कोषालय, ifmis के स्ट्रॉंग रूम माड्यूल के अंतर्गत स्टाम्प विक्रय के लिये उपलब्ध होगा। उक्त चालान के विरुद्ध + - (प्लस माइनस) मेमो संबंधित जिले के जिला कोषालय के (जिसके द्वारा चालान विक्रित किये गये हैं) द्वारा महालेखाकार को प्रेषित किये जाने वाले लेखाओं में सम्मिलित होगा। कृपया अपने जिले से संबंधित अधिकारियों/संस्थाओं को अवगत कराने का अनुरोध है।

(आयुक्त)
कोष एवं लेखा

क्रमांक / डीटीए / साय0ट्रेजरी / 220

भोपाल, दिनांक 07.09.2018

प्रतिलिपि :-

(1) प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(2) प्रमुख, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।

✓ (3) रजिस्ट्रार जनरल मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(4) पंजीयन महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुद्रांक की ओर सूचनार्थ एवं अधीनस्थ कार्यालय को आवश्यक निर्देश जारी करने हेतु।

(5) समस्त जिला कलेक्टर की ओर सूचनार्थ।

ky
(आयुक्त)
कोष एवं लेखा

